भारत सरकार ने 100 उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी एस सी)पर हस्ताक्षर किए हैं, जो वर्तमान में मान्य हैं और अन्वेषण के विभिन्न चरणों में हैं । इन पर नेल्प से पूर्व अपनाये गए नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (नेल्प) और अन्वेषण नीति की रूपरेखा के भीतर हस्ताक्षर किए गए हैं । इन संविदाओं को सामान्य रूप से अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए 6 माह की अवधि का अन्वेषण चरण में समय विस्तार प्रदान किया जाता है और वेधन कार्य के अंतर्गत किसी कूप को भी कार्य पूर्ण करने के लिए 6 माह की अवधि का समय विस्तार प्रदान किया जाता है । अन्वेषण नीतियों का उद्देश्य देश में तेल और गैस के अन्वेषण को प्रोत्साहित करना है । विगत कुछ वर्षों में, यह देखा गया है कि सरकार द्वारा संविदाकारों की ओर से विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए अन्वेषण चरणों में बड़ी संख्या में समय विस्तार के मांग संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त किया गया है । सरकार द्वारा इन मामलों पर व्यक्तिगत प्रस्तावों के गुणों के आधार पर विचार किया गया है ।

संबंधित उत्पादन हिस्सेदारी संविदा में विनिर्दिष्ट किए अनुसार निर्धारित समय के भीतर प्रतिबद्ध कार्य कार्यक्रम के पूर्ण न होने के अन्वेषण प्रयासों की पूरी प्रक्रिया पर विभिन्न प्रकार के स्थायी और अस्थायी प्रभाव पड़ते हैं । इनमें से कुछ प्रमुख प्रभाव हैं :

- अन्वेषण में कार्यकुशलता में तीव्रता लाने और बढ़ोतरी करने के मूल उद्देश्य समाप्त हो जाएंगे और इससे जटिलता पैदा हो सकती है ।

- ब्लॉकों को समय सीमा के साथ चरण वार प्रतिबद्ध कार्य कार्यक्रम के आधार पर सौंपा जाता है । समय विस्तार, बोली संबंधी प्रक्रिया और संविदा की भावना की अखंडता को दुष्प्रभावित करता है ।

- निरंतर समय विस्तार, समान अवसर, सभी को उचित अवसर प्रदान करने, व्यवस्था की पारदर्शिता के प्रमुख उद्देश्य को प्रभावित करता है ।

अन्वेषण चरणों में समयविस्तार प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी तथा स्थायी ढांचे को अपनाने के क्रम में, सरकार ने नेल्प संविदा के तहत समय विस्तार की मौजूदा नीति के अनुसरण में सी बी एम संविदाओं के तहत अन्वेषण चरणों में अपेक्षा करते प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक विस्तार नीति तैयार की है, जो अभी सरकार के पास लंबित हैं अथवा भविष्य में कभी भी प्राप्त हो सकती हैं । इस विस्तार नीति के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं :

i संविदाकारों के समय विस्तार संबंधी प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए एक पारदर्शी तथा सतत् मानदण्ड स्थापित करने के लिए ।

ii अनावश्यक समय विस्तार की मांग करने अथवा किसी भी या गतिविधियों के बिना अथवा अल्प अथवा धीमी गति से अन्वेषण गतिविधियों को करते हुए रकबों को अधिग्रहित रखने की स्थिति में निवारक के रूप में कार्य करना ।

iii नीति द्वारा, मांगे गए समय विस्तार के अनुसार बैंक गारण्टी की राशि को बढाने और / अथवा स्वीकृत किए गए पूर्व अनुमानित निर्णित जुर्माने (आपसी रूप से स्वीकृत किए गए निर्णित जुर्माने की पूर्व अनुमानित राशि) के रूप में नकद भुगतान द्वारा एक क्रमानुसार दंड की प्रणाली की परिकल्पना की गई है और उन कंपनियों को यथोचित मान्यता दी जाए जिन्होनें अतिरिक्त अन्वेषण कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने को छोड़कर खोज की तथा ब्लॉक के भूविज्ञान को समझा है ।

iv 6 माह का समय विस्तार, प्रबंधन समिति अथवा सरकार द्वारा संबंधित पी एस सीज़ के प्रावधानों के संदर्भ में योग्यता के आधार पर दिया जा सकता है ।

v सरकार के अनुमोदनों / परमिटों / अनुमतियों को प्राप्त करने में प्रत्यक्ष विलंब, जो संविदाकार के कारण नहीं होते हैं को क्षम्य विलंब के रूप में लिया जा सकता है

vi यदि, संविदाकार अनुबंधित समय अवधि अथवा समय विस्तारित अवधि के भीतर कार्य कार्यक्रम को पूर्ण नहीं करता है, जैसा भी मामला हो, उसके द्वारा अपूर्ण कार्य कार्यक्रम, यदि कोई हो तो, के लिए सरकार को पी एस सी के संबंधित प्रावधानों के अनुसार धन का भुगतान करना अनिवार्य होगा ।

उपर्युक्त व्यापक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने समय विस्तार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नीति को तत्स्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है । नीचे दी गई तालिका में प्रगणित विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले प्रस्तावों पर सरकार द्वारा ऐसे प्रत्येक वर्ग के लिए निर्धारित किए गए संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार विचार किया जाएगा ।

क <u>चरण । और ।। में 7 वर्ष अथवा 8 वर्ष की समग्र अन्वेषण अवधि के भीतर समय विस्तार (परंतु सरकारी अनुमोदन / परमिट / निकासी आदि के लिए किसी भी प्रस्तावित क्षम्य विलंब के अतिरिक्त)</u>

क्रम	**प्रस्तावों के प्रकार (चरण । और चरण**	**प्रस्तावित शर्तों के साथ सुझाव**

संख्या	।। में समय विस्तार के लिए लागू)	
1	**जहां संबंधित चरण का न्यूनतम कार्य कार्यक्रम उस चरण की अनुबंधित अवधि के भीतर पूर्ण नहीं किया गया है और किसी प्रकार की हाइड्रोकॉर्बन खोज नही हुई है (जैसा कि पी एस सी में परिभाषित है)**	जहां संविदाकार द्वारा न्यूनतम कार्य कार्यक्रम पूर्ण नहीं किया गया है और किसी प्रकार की हाइड्रोकॉर्बन खोज नही हुई है, उस स्थिति में निम्नलिखित प्रक्रिया लागू होगी : क पी एस सीज़ की समान शर्तों को बनाए रखते हुए, प्रबंध समिति अथवा सरकार द्वारा संबंधित पी एस सीज़ के प्रावधानों की मदों के लिए प्रथम छह माह का समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है । ख निम्नलिखित शर्तों एवं विनियमनों के आधार पर 6 माह (जो 6 से 12 माह के बीच हो सकता है) का अतिरिक्त समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है : • संविदाकार द्वारा 100 प्रतिशत बैंक गारण्टी और डी जी एच द्वारा इस प्रकार के अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम की लागत के गणन में प्रासंगिक घटकों को ध्यान मे रखते हुए यथोचित रूप से निर्धारित किए गए अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के लिए 10 प्रतिशत पूर्व अनुमानित स्वीकृत निर्णीत हर्जाना के नकद भुगतान किए जाएंगे । • संविदाकार को इस समय विस्तार की अवधि के आरंभ होने पर पी एस सीज़ के अनुसार उस क्षेत्र का परित्याग करना होगा । • समय विस्तार की अवधि को आगामी चरण से पृथक रखा जाएगा । ग 12 माह से अधिक तथा 18 माह से कम के किसी भी समय विस्तार पर निम्नलिखित के आधार पर विचार किया जा सकता है :

		• संविदाकार द्वारा संबंधित चरण के अंत में उस उस क्षेत्र का परित्याग करना आवश्यक होगा । • संविदाकार द्वारा 100 प्रतिशत बैंक गारण्टी और डी जी एच द्वारा इस प्रकार के अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम की लागत के गणन में प्रासंगिक घटकों को ध्यान मे रखते हुए यथोचित रूप से निर्धारित किए गए अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के लिए 30 प्रतिशत पूर्व अनुमानित स्वीकृत निर्णीत हर्जाना के नकद भुगतान प्रदान किए जाएंगे । • समय विस्तार की अवधि को आगामी चरण से पृथक रखा जाएगा ।

2	**जहां संबंधित चरण का न्यूनतम कार्य कार्यक्रम उस चरण की अनुबंधित अवधि के भीतर पूर्ण नहीं किया गया है और प्रचालक यह अनुभव करता है कि अतिरिक्त अन्वेषण / वेधन को करने की संभाव्यता काफी क्षीण है ।**	यदि संविदाकार और डी जी एच, उस परिस्थिति में उपलब्ध सूचना के आधार पर, इस निष्कर्ष पर आते हैं कि उस ब्लॉक / क्षेत्र की व्यवहार्यता काफी कम है और न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (अर्थात तकनीकी वाणिज्यिक अर्थक्षमता की संभावनाओं की कमी के कारण अन्वेषण कूपों का वेधन) की पूर्ति होना विश्वस्नीय नहीं प्रतीत होता है, डी जी एच द्वारा उस परिस्थिति में उपलब्ध सूचना के आधार पर इस संबंध में कि क्या इस ब्लॉक की व्यवहार्यता वास्तव में काफी कम है और संविदाकार के परामर्श से किसी वैकल्पिक कार्य कार्यक्रम, जो कम से कम अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के निवेश और प्रयास के रूप में (वास्तविक रूप में) समान हो, को सुनिश्चित करने पर भी निर्णय लिया जाएगा । कार्य कार्यक्रम के इस प्रकार के विकल्प के लिए सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता होगी । वैकल्पिक कार्य कार्यक्रम के साथ इस परिदृश्य में, समय विस्तार निम्नानुसारप्रदान किया जाएगा : क प्रथम छह माह के लिए संबंधित पी एस सीज़ जिसमे पी एस सीज़ की समान शर्तों को बनाए रखते हुए, प्रबंध समिति अथवा सरकार द्वारा संबंधित पी एस सीज़ के प्रावधानों की मदों के लिए प्रथम छह माह का समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है (सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले लिए अपूर्ण वैकल्पिक कार्य कार्यक्रम के अतिरिक्त) । ख निम्नलिखित शर्तों एवं विनियमनों के आधार पर अगले 6 माह (अर्थात 6 से 12 माह तक) का अगला समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है : • संविदाकार द्वारा अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के लिए 100 प्रतिशत बैंक गारण्टी प्रदान की जाएगी (सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले अपूर्ण वैकल्पिक कार्य कार्यक्रम के

		समान) । • यह ब्लॉक खुले रकबे के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा और यह बोली दौर अथवा खुली रकबा व्यवस्था के तहत प्रस्तावित किया जा सकता है (जब भी यह लागू हो जाएगा) । तथापि, इस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के तहत किसी प्रकार की खोज अथवा किसी वेधन के होने की स्थिति में संविदाकार को उस क्षेत्र को अधिग्रहित रखने का अधिकार होगा जैसा कि डी जी एच द्वारा यथोचित रूप से निर्धारित किया जाएगा । यदि इस विस्तारित अवधि के दौरान अन्वेषण् के परिणामस्वरूप संविदाकार अन्वेषण के अगले चरण की ओर जाने की इच्छा प्रकट करता है, तब संविदाकार को केवल उन क्षेत्रों के लिए अगले चरण में जाने की अनुमति होगी जिनके लिए किसी प्रकार के लाइसेंस / पट्टे जारी नहीं किए गए हैं अथवा उस समय तक उन्हें किसी भी बोली की प्रक्रिया के तहत नहीं रखा गया हो । • 12 माह से अधिक अवधि के लिए किसी प्रकार का आगामी समय विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा और संविदाकार द्वारा पी एस सीज़ के प्रावधानों के अनुसार सरकार को अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के समान भुगतान, यदि कोई हो तो, करते हुए उस क्षेत्र को त्यागना होगा ।

3	**जहां न्यूनतम कार्य कार्यक्रम पूर्ण न हुआ हो परंतु हाइड्रोकॉर्बन खोज अन्वेषण चारण के भीतर हो गई हो और वह उस क्षेत्र को उस चरण के अंत में त्यागने का इच्छुक न हो ।**	इस परिस्थिति मे, डी जी एच द्वारा उस क्षेत्र में करने योग्य, जिसे संविदाकार ने त्यागने के लिए प्रस्तावित नहीं किया है, आवश्यक अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के साथ साथ, कार्य कार्यक्रम के संबंध में यथोचित निर्णय लिया जाएगा । • प्रथम छह माह का समय विस्तार संबंधित पी एस सीज़ के प्रावधानों की शर्तों में दिए अनुसार प्रदान किया जा सकता है । • एक अन्य 12 माह का समय विस्तार (अर्थात 6 से 18 माह तक) इस आधार पर दिया जा सकता है कि संविदाकार द्वारा अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम तथा अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम (अतिरिक्त क्षेत्र को अधिग्रहीत बनाए रखने के लिए) के लिए 50 प्रतिशत की बैंक गारण्टी प्रदान करे जिस पर डी जी एच द्वारा उचित रूप से निर्णय लिया गया हो । • संविदाकार को इन गतिविधियोंके लिए पी एस सीज़ में समय सीमा के प्रावधान के भीतर खोज संबंधी वाणिज्यिकता तथा विकास का मूल्यांकन करना तथा उस पर निर्णय लेना होगा ।

4	**जहां न्यूनतम कार्य कार्यक्रम पूर्ण हुआ हो परंतु हाइड्रोकॉर्बन खोज न हुई हो तथा अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया हो :**	इस परिस्थिति मे, संविदाकार को निम्नानुसार समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है : क पी एस सीज़ के प्रावधानों के अनुसार छह माह के लिए समय विस्तार प्रदान किया जा सकात है । ख निम्नलिखित के आधार पर 6 माह (6 से 12 माह तक) तक का अतिरिक्त समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है : • संविदाकार द्वारा अपूर्ण अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम की 35 प्रतिशत राशि की बैंक गारण्टी प्रदान की जाएगी । • तदुपरांत चरण (चरणों) से इस कार्य कार्यक्रम को पृथक नहीं कर सकेगा । • डी जी एच यथोचित रूप से अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए आवश्यक अपेक्षित समय को निर्धारित करेगा । ग निम्नलिखित के आधार पर 6 माह (12 से 18 माह तक) तक का अतिरिक्त समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है : • संविदाकार द्वारा अपूर्ण अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम की 100 प्रतिशत राशि की बैंक गारण्टी प्रदान की जाएगी । • संबधित चरण के लिए लागू किए अनुसार क्षेत्र को त्यागना आवश्यक होगा । • तदुपरांत चरण से इस कार्य कार्यक्रम को पृथक नहीं कर सकेगा ।

		- डी जी एच यथोचित रूप से अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए आवश्यक अपेक्षित समय को निर्धारित करेगा । - यदि इस अवधि के दौरान अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने में असमर्थ रहते हैं तब संविदाकार को अपूर्ण अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम के 50 प्रतिशत का भुगतान करना होगा ।
5	**जहां न्यूनतम कार्य कार्यक्रमतथा हाइड्रोकॉर्बन खोज पूर्ण हुआ हो गई हो और अतिरिक्त अन्वेषण हेतु संविदाकार उस क्षेत्र को अपने अधिग्रहण में रखना चाहता हो:**	इस परिस्थिति मे, निम्नानुसार समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है : क पी एस सीज़ के प्रावधानों के अनुसार छह माह के लिए समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है । ख निम्नलिखित के आधार पर 12 माह (6 से 18 माह तक) तक का अतिरिक्त समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है : - संविदाकार द्वारा अतिरिक्त अन्वेषण कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अनुमानित समय को यथोचित रूप से सुनिश्चित किया जाएगा । - संविदाकार द्वारा अपूर्ण अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम की 35 प्रतिशत राशि की बैंक गारण्टी प्रदान की जाएगी । - तदुपरांत चरण (चरणों) से इस कार्य कार्यक्रम को पृथक नहीं कर सकेगा ।

		• यदि इस अवधि के दौरान अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने में असमर्थ रहते हैं तब संविदाकार को अपूर्ण अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम के 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा ।
6	**जहां न्यूनतम कार्य कार्यक्रमतथा हाइड्रोकॉर्बन खोज पूर्ण हुआ हो गई हो और संविदाकार उस क्षेत्र को पी एस सी के अनुसार त्यागना चाहता हो, तथापि, अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए समय विस्तार चाहता हो ।**	इस परिस्थिति मे, निम्नानुसार समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है : क पी एस सीज़ की शर्तों के अनुसार 6 माह के लिए समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है । ख निम्नलिखित शर्तों के आधार पर 6 माह (6 से 12 माह तक) तक का अतिरिक्त समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है : • डी जी एच अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अनुमानित समय को यथोचित रूप से सुनिश्चित करेगा । • तदुपरांत चरण (चरणों) से इस कार्य कार्यक्रम को पृथक नहीं कर सकेगा । • संविदाकार द्वारा अपूर्ण अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम की 35 प्रतिशत राशि की बैंक गारण्टी प्रदान की जाएगी । • यदि इस अवधि के भीतर अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने में असमर्थ रहते हैं तब संविदाकार को अपूर्ण अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम के 35 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा । ग निम्नलिखित के आधार पर 6 माह (12 से 18 माह तक) तक का अतिरिक्त समय विस्तार

		प्रदान किया जा सकता है : • डी जी एच अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित अनुमानित समय को यथोचित रूप से सुनिश्चित करेगा । • संविदाकार द्वारा अपूर्ण अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम की 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारण्टी प्रदान की जाएगी । • तदुपरांत चरण (चरणों) से इस कार्य कार्यक्रम को पृथक नहीं कर सकेगा । • यदि इस अवधि के भीतर अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने में असमर्थ रहते हैं तब संविदाकार को अपूर्ण अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम के 50 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा ।
7	**असंभावित क्षेत्रों में आने वाले ब्लॉकों में न्यूनतम कार्य कार्यक्रमपूर्ण नहीं हुई हो (ये वे ब्लॉक हो सकते हैं जिन्हें एक मात्र बोली के आधार पर सौंप दिया गया हो)**	इस परिस्थिति मे, निम्नानुसार समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है : क पी एस सीज़ के प्रावधानों की शर्तों के अनुसार 6 माह के लिए समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है । ख निम्नलिखित शर्तों के आधार पर 12 माह (6 से 18 माह तक) तक का अतिरिक्त समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है : • डी जी एच को सहायक दस्तावेज़ों / आंकड़ों के साथ असंभावित क्षेत्रों में आने वाले ब्लॉकों को सुनिश्चित करना होगा । • डी जी एच, अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए समय

		को यथोचित रूप से सुनिश्चित करेगा । • संविदाकार द्वारा अपूर्ण अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम की 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारण्टी प्रदान की जाएगी । • संविदाकार द्वारा इस विस्तारित अवधि के आरंभ से ही पी एस सी के प्रावधानों के अनुसर इस क्षेत्र को त्याग देना होगा । • यह ब्लॉक खुले रकबे के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा और यह बोली दौर अथवा खुली रकबा व्यवस्था के तहत प्रस्तावित किया जा सकता है (जब भी यह लागू हो जाएगा) । तथापि, इस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के तहत किसी प्रकार की खोज के होने की स्थिति में संविदाकार को उस क्षेत्र को अधिग्रहित रखने का अधिकार होगा जैसा कि डी जी एच / प्रबंध समिति द्वारा यथोचित रूप से निर्धारित किया जाएगा । यदि इस विस्तारित अवधि के दौरान अन्वेषण् के परिणामस्वरूप संविदाकार अन्वेषण के अगले चरण की ओर जाने की इच्छा प्रकट करता है, तब संविदाकार को केवल उन क्षेत्रों के लिए अगले चरण में जाने की अनुमति होगी बशर्ते इनके लिए किसी प्रकार के लाइसेंस / पट्टे जारी नहीं किए गए हैं अथवा उस समय तक उन्हें किसी भी बोली की प्रक्रिया के तहत नहीं रखा गया हो ।

		• यदि विस्तारित अवधि में न्यूनतम कार्य कार्यक्रम पूर्ण नहीं होता है तब अपूर्ण अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम के • यदि इस अवधि के भीतर अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने में असमर्थ रहते हैं तब संविदाकार को अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के समान राशि का भुगतान करना होगा ।

ख **<u>अन्वेषण चरण ||| में 7 वर्ष अथवा 8 वर्ष की समग्र अन्वेषण अवधि के भीतर समय विस्तार (परंतु सरकारी अनुमोदन / परमिट / निकासी आदि के लिए किसी भीप्रत्यक्ष क्षम्य विलंब के अतिरिक्त)</u>**

क्रम संख्या	प्रस्तावों के प्रकार	प्रस्तावित शर्तों के साथ सुझाव
1	**चरण ||| से संबंधित न्यूनतम कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए अपेक्षित समय विस्तार :**	जैसे कि संविदाकार 7 अथवा 8 वर्षों में भी किसी भी प्रकार की खोज करने में समर्थ नहीं हो पाता है और चरण ||| के न्यूनतम कार्य कार्यक्रम को भी पूर्ण करने में भी समर्थ नहीं होता है, इस स्थिति में किसी प्रकार का समय विस्तार प्रदान नहीं किया जाएगा ओर संविदाकार को पी एस सीज़ के प्रावधानों के अनुसार सरकार को धन का भुगतान करना होगा ।
2	**जहां न्यूनतम कार्य कार्यक्रम पूर्ण हो गया हो, किसी प्रकार की हाइड्रोकॉर्बन खोज नहीं हुई हो और संविदाकार अतिरिक्त कार्यकार्यक्रम करना चाहता हो तथा उस क्षेत्र को धारित करना चाहता हो :**	निम्नलिखित शर्तों के आधार पर 12 माह तक का समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है : • संविदाकार द्वारा 100 प्रतिशत बैंक गारण्टी और अतिरिक्त कार्य कार्यक्रम के लिए 30 प्रतिशत पूर्व अनुमानित स्वीकृत निर्णीत हर्जाना के रूप में नकद भुगतान किया जाएगा। • संविदाकार के लिए प्रस्तावित विस्तारित अवधि के साथ कार्य कार्यक्रम के न्यायपूर्ण तथा औचित्यपूर्ण रूप से केवल न्यूनतम क्षेत्र को अधिग्रहित करने की आवश्यकता होगी । इसका निर्णय सरकार द्वारा डी जी एच के परामर्श से लिया जाएगा । • भागीदारी हित के किसी भी कार्य के लिए विस्तारित अवधि के दौरान अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी । • ब्लॉक खुले रकबे के कार्य क्षेत्र में आएगा और उसे बोली दौर अथवा खुला रकबा व्यवस्था के तहत प्रस्तावित किया जाएगा (जैसे ही इसे लागू किया जाता है) । तथापि, इस विस्तारित अवधि

		के दौरान कार्यान्वयन के तहत किसी कार्य कार्यक्रम के परिणामवरूप किसी खोज के मामले में, संविदाकार के पास संबंधित क्षेत्र को रखने का अधिकार होगा जैसे कि सरकार द्वारा डी जी एच के परामर्श से यथोचित रूप से निर्धारित किया जाएगा । • नेल्प पूर्व पी एस सीज़ का मामले में, संविदाकार (एन ओ सीज़ के स्थान पर) अन्वेषण अवधि की समाप्ति के पश्चात लाइसेंसधारक / पट्टाधारी होगा और वह पी एस सीज़ / कानूनों के तहत सभी सांविधिक शुल्कों तथा अन्य दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा ।
3	**विस्तार की अपेक्षा चरण ।।। के न्यूनतम कार्य कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए की गई परंतु हाइड्रोकॉर्बन की खोज हो गई :**	इस परिस्थिति में, निम्नलिखित शर्तों के आधार पर समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है : • संविदाकार द्वारा 100 प्रतिशत बैंक गारण्टी और अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के लिए 30 प्रतिशत पूर्व अनुमानित स्वीकृत निर्णीत हर्जाना के रूप में नकद भुगतान किया जाएगा। • संविदाकार के लिए प्रस्तावित विस्तारित अवधि के साथ कार्य कार्यक्रम के न्यायपूर्ण तथा औचित्यपूर्ण रूप से केवल न्यूनतम क्षेत्र को अधिग्रहित करने की आवश्यकता होगी । इसका निर्णय सरकार द्वारा डी जी एच के परामर्श से लिया जाएगा । • भागीदारी हित के किसी भी कार्य के लिए विस्तारित अवधि के दौरान अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी । • ब्लॉक खुले रकबे के कार्य क्षेत्र में आएगा और उसे बोली दौर अथवा खुला रकबा व्यवस्था के तहत प्रस्तावित किया जाएगा (जैसे ही इसे लागू किया जाता है) । तथापि, इस विस्तारित अवधि के दौरान कार्यान्वयन के तहत किसी कार्य कार्यक्रम के परिणामवरूप किसी खोज के मामले

		में, संविदाकार के पास संबंधित क्षेत्र को रखने का अधिकार होगा जैसे कि सरकार द्‌वारा डी जी एच के परामर्श से यथोचित रूप से निर्धारित किया जाएगा । • नेल्प पूर्व पी एस सीज़ का मामले में, संविदाकार (एन ओ सीज़ के स्थान पर) अन्वेषण अवधि की समाप्ति के पश्चात लाइसेंसधारक / पट्टाधारी होगा और वह पी एस सीज़ / कानूनों के तहत सभी सांविधिक शुल्कों तथा अन्य दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा और पी एस सीज़ की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी । • संविदाकार को विस्तार की तिथि से अन्वेषण क्षेत्र के लिए पृथक चक्रदार घेरायुक्त पी एस सीज़ में प्रविष्ट होना अनिवार्य होगा ।
4	**जहां न्यूनतम कार्य कार्यक्रम पूर्ण हुआ हो खोजें / वाणिज्यिक खोजें की गई हों तथा संविदाकार अतिरिक्त अन्वेषण कार्य कार्यक्रम करना तथा क्षेत्र को रखना चाहता हो :**	इस परिस्थिति में, निम्नलिखित शर्तों के आधार पर समय विस्तार प्रदान किया जा सकता है : • संविदाकार द्‌वारा 35 प्रतिशत बैंक गारण्टी और अपूर्ण न्यूनतम कार्य कार्यक्रम के लिए 30 प्रतिशत पूर्व अनुमानित स्वीकृत निर्णीत हर्जाना के रूप में नकद भुगतान किया जाएगा। • संविदाकार के लिए प्रस्तावित विस्तारित अवधि के साथ कार्य कार्यक्रम के न्यायपूर्ण तथा औचित्यपूर्ण रूप से केवल न्यूनतम क्षेत्र को अधिग्रहित करने की आवश्यकता होगी । इसका निर्णय सरकार द्‌वारा डी जी एच के परामर्श से लिया जाएगा । • भागीदारी हित के किसी भी कार्य के लिए विस्तारित अवधि के दौरान अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी । • ब्लॉक खुले रकबे के कार्य क्षेत्र में आएगा और उसे बोली दौर अथवा खुला रकबा व्यवस्था के तहत प्रस्तावित किया जाएगा (जैसे ही इसे लागू

		किया जाता है) । तथापि, इस विस्तारित अवधि के दौरान कार्यान्वयन के तहत किसी कार्य कार्यक्रम के परिणामवरूप किसी खोज के मामले में, संविदाकार के पास संबंधित क्षेत्र को रखने का अधिकार होगा जैसे कि सरकार द्वारा डी जी एच के परामर्श से यथोचित रूप से निर्धारित किया जाएगा । • नेल्प पूर्व पी एस सीज़ का मामले में, संविदाकार (एन ओ सीज़ के स्थान पर) अन्वेषण अवधि की समाप्ति के पश्चात लाइसेंसधारक / पट्टाधारी होगा और वह पी एस सीज़ / कानूनों के तहत सभी सांविधिक शुल्कों तथा अन्य दायित्वों के लिए उत्तरदायी होगा और पी एस सीज़ की अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी । • संविदाकार को विस्तार की तिथि से अन्वेषण क्षेत्र के लिए पृथक चक्रदार घेरायुक्त पी एस सीज़ में प्रविष्ट होना अनिवार्य होगा ।